



दिनांक 11.03.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 302 ग्राम स्मैक (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित करीब 60

लाख 40 हजार रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “ नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10/03/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. आवेश उर्फ बिल्लू पुत्र आलिम निवासी घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 2. आरिफ पुत्र अली हसन निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली को विद्यार्थी तिराहे से सहारनपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 302 ग्राम अवैध स्मैक (आवेश उर्फ बिल्लू से 252 ग्राम व आरिफ से 50 ग्राम अवैध स्मैक) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 132/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आवेश उर्फ बिल्लू पुत्र आलिम निवासी घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. आरिफ पुत्र अली हसन निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली

बरामदगी का विवरण:-

302 अवैध स्मैक ग्राम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ

1. मु0अ0सं0 256/12 धारा 302 भादवि 25/27 आर्मस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 376 सचिन चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का0 688 प्रवीण कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक 11.03.2026

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 24.02.2026 को रेहान पुत्र मोहम्मद सुलेमान निवासी खानआलमपुरा डायमंड फर्नीचर वाली गली जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के भाई की मोटरसाइकिल स्पेलण्डर-प्रो UP11AJ4574 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 93/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया था।

पुलिस कार्यवाही:-

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभारी कार्यवाही करते हुए 01 वांछित वाहन चोर अभियुक्त सूफियान पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला लोहरान कस्बा बेहट जिला सहारनपुर हाल निवासी राणा पैलेस के पास आजाद कालोनी थाना मंडी सहारनपुर को मिर्जा फास्टफूड के पास, निकट राणा पैलेस आजाद कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त चोरी की गयी मोटरसाइकिल UP11AJ4574 व एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल चालान एप पर चैक किया तो रजि0 न0 UP19P5074 (थाना को0 देहात से सम्बन्धित) बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूफियान पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला लोहरान कस्बा बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP11AJ4574 (मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)
- 01 मोटरसाइकिल रजि0 न0 - UP19P5074 (थाना कोतवाली देहात से सम्बन्धित)

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 358/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 304/2025 धारा 317(2)/303(2)/317(5) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1806 योगेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक 11.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना - महिला थाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी महिला अभियुक्ता को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकार क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती कुसुम भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर महिला थाना पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारंटी महिला अभियुक्ता त्रिवेणी चंद्रा पुत्री पूरन सिंह निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी मल्हीपुर रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित मु0अ0स0 95/15 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम चालानी महिला थाना (माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी सहारनपुर) में फ्रेंड्स कालोनी मल्हीपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता

त्रिवेणी चंद्रा पुत्री पूरन सिंह निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी मल्हीपुर रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी, महिला थाना जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 रंजीता, महिला थाना जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 शिवकुमार शर्मा, महिला थाना जनपद सहारनपुर।
4. म0हे0कां0 रीता, महिला थाना जनपद सहारनपुर।
5. म0हे0कां0 सुंदरी, महिला थाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 11.03.2026

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही □

थाना नकुड पुलिस द्वारा 01 वांछित नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 52 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.03.2026 को थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त नाजिम पुत्र असगर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को अम्बेहटापीर गंगोह रोड से ग्राम नवाजपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे 52 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड पर मु0अ0सं0 152/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम उपरोक्त थाना नकुड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नाजिम पुत्र असगर निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

52 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त नाजिम का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 166/20 धारा 188 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 11/23 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 132/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुरबरामदगी का विवरण -

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 892 अजय थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
5. है0का0 258 अजित मलिक अहमद थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
6. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 11.03.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त जसपाल पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम शीतलपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 2395/2025 व मु0अ0सं0 452/16 धारा 414 भादवि व धारा 82 द0प्र0स0 (सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम सहारनपुर) में थाना क्षेत्र नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जसपाल पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम शीतलपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 11.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2026 को थाना सरसावा क्षेत्र निवासी वादी की लिखित तहरीरी सूचना बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 135/26 धारा 64(1)/123 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम पुरुषोत्तम शर्मा पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये थे जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निर्देशों के क्रम में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.03.2026 को उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त **पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी ग्राम मछरौली बीनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को बस स्टैण्ड कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी ग्राम मछरौली बीनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

अभियुक्त पुरुषोत्तम का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 411/21 धारा 363 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 135/26 धारा 64(1)/123 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी थाना नकुड़, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1112 विनय कुमार नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन क्लीन” के तहत
विभिन्न मुकदमों से सम्बन्धित माल पटाखे व विस्फोटक सामग्री आदि के विनिष्ठीकरण की
कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन क्लीन” के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा उपजिलाधिकारी नकुड सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह की अध्यक्षता में एवं प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय जनपद सहारनपुर के आदेशानुसार थाना गंगोह पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 452/24 धारा 125/223/288/61(2) बीएनएस व 9 विस्फोटक पदार्थ अधि0 से सम्बन्धित बरामद 27 कार्टून गत्ता पेटी में चटर-पटर बने व अध बने पटाखे मय उपकरण व 2. मु0अ0सं0 448/25 धारा 125/223/288/61(2) बीएनएस व धारा 9बी(1)ए विस्फोटक पदार्थ अधि0 से सम्बन्धित कुल 25 कट्टो में बने व अध बने सुतली बम व 42 पैकेट विस्फोटक केमिकल व 27 किलो एलुमिनियम पाउडर व 07 किलो सफेद विस्फोटक पदार्थ व अधबना सुतली बम जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15,50,000/-रुपये को नियमानुसार उ0नि0 उदयवीर सिंह व बम डिसपोजल टीम सहारनपुर व हेड मोहर्रि थाना गंगोह की मौजूदगी में आज दिनांक 29.05.2025 को उपरोक्त माल के विनिष्ठीकरण की कार्यवाही की गयी तथा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करायी गयी।

विनिष्ठीकरण किये गये माल का विवरण:-

- 27 कार्टून गत्ता पेटी में चटर पटर बने व अध बने पटाखे मय उपकरण,
- कुल 25 कट्टो में बने व अध बने सुतली बम
- 42 पैकेट विस्फोटक केमिकल
- 27 किलो एलुमिनियम पाउडर
- 07 किलो सफेद विस्फोटक पदार्थ
- अधबने सुतली बम
- कुल अनुमानित कीमत लगभग 15,50,000/- रुपये

विनिष्ठीकरण हेतु गठित टीम के सदस्यों के नाम:-

1. उपजिलाधिकारी तहसील नकुड, सहारनपुर
2. श्री अशोक कुमारसिसौधिया क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर
3. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना गंगोह, सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह बम डिसपोजल टीम सहारनपुर
5. का0 शशीकान्त शर्मा बम डिसपोजल टीम सहारनपुर
6. का0 अनुज तोमर बम डिसपोजल टीम सहारनपुर
7. का0 विक्रान्त सिंह वर्मा डिसपोजल टीम सहारनपुर
8. हेड मोहर्रि विनीत कुमार थाना गंगोह, सहारनपुर



दिनांक: 11.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.03.2026 को वादी श्री नूर अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम वर्तमान पता बुढडाखेडा अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अमित पुत्र हरपाल निवासी बुढडाखेडा अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेडछाड करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 77/26 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का सज्ञान लेकर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अमित पुत्र हरपाल निवासी बुढडाखेडा अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को गागलहेडी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित पुत्र हरपाल निवासी बुढडाखेडा अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री अमित नागर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राजकुमार तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 राशिद खान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।